समागम केन्द्रों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश

बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां (एमआईसीई) आजकल पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से एमआईसीई पर्यटन में भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। अत: हमारे देश को पर्यटन के इस लाभप्रद घटक की अपेक्षा को पूरा करने के लिए और अधिक समागम और प्रदर्शनी केंद्रों की आवश्यकता है। अत: इस वास्तविकता को समझते हुए पर्यटन मंत्रालय ने समागम केन्द्रों पर निवेश को प्रोत्साहित करने और सुविधाओं का स्तर सुधारने के लिए समागम केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अनुमोदन

महत्वपूर्ण पर्यटन अवसंरचना होने के कारण अनुमोदित समागम केन्द्र विभिन्न लाभों के हकदार हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ आयकर अधनियम के अधीन आयकर रियायत, नगर निगम, राज्य तथा संघीय स्तरों पर सरकारी प्राधिकरणों अथवा अर्द्धसरकारी या सरकारी निकाय द्वारा टेलीफोन, टैलेक्स, एलपीजी आदि जैसी विभिन्न आवश्यकताओं पर प्राथमिकता आधार पर विचार शामिल है।

अनुमोदन के लिए परियोजना/योजना स्तर पर आवेदन किया जा सकता है। परियोजना स्तर पर अनुमोदित समागम केन्द्र, आवश्यक उपकरणों और सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के आबंटन के विचार के लिए पात्र बन जाता है। समागम केन्द्र के पूरा होने और चालू होने पर उसका पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पर्यटक साहित्य को भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के जरिए वितरण किए जाने से विश्वव्यापी प्रचार मिलेगा। अनुमोदित समागम केन्द्र भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम को ऋण के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे तथापि ऋण के आवेदन पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन आदि के प्रस्तुत करने के अनुरोध के संदर्भ में विचार किया जाता है और पर्यटन मंत्रालय द्वारा परियोजना को अनुमोदित करने से किसी भी तरह यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उस पर कोई प्रोत्साहन अथवा ऋण प्रदान करने के लिए कोई आश्वासन दिया गया है।

सामान्य विशेषताएं

यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रस्तावित समागम केन्द्र में नीचे दिए गए अनुसार कम से कम एक समागम हॉल, दो छोटे सम्मेलन हॉल, एक प्रदर्शनी हॉल, एक रेस्तरां और निम्नानुसार पार्किंग की सुविधाएं होनी चाहिए:-

1. समागम हॉल:

समागम हॉल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है इसमें ऑडियो विजुअल कांफ्रेंसिंग उपकरण, हाई फाइडेलिटी रिकार्डिंग की सुविधा, वीडियो प्रोजेक्शन/वीडियोग्राफ आदि और विभिन्न स्तरों पर कुशल जन शक्ति होनी चाहिए। हॉल में सीट क्षमता निम्नलिखित श्रेणी में क्लासरूम स्टाइल की तरह हो सकती है:-

(क) 1500 पैक्स से ऊपर या

(ख) 1200-1500 पैक्स या

(ग) 800-1200 पैक्स या

(घ) 300-800 पैक्स

2. छोटे समागम हॉल:

समागम केन्द्रों में छोटे समागम हॉलों का भी बराबर महत्व है, क्योंकि इन हॉलों की विभिन्न सेमिनारों, समितियों, बैठकों आदि के लिए आवश्यकता होती है। अत: बैठने की क्षमता निम्नानुसार सीटों के साथ एक थिएटर या क्लासरूम स्टाइल में हो सकती है:–

(क) 200-300 पैक्स या

(ख) 100-200 पैक्स या

(ग) 50-100 पैक्स या

(घ) 20-50 पैक्स

3. प्रदर्शनी हॉल:

समागम केन्द्र में प्रदर्शन हॉल एक और महत्वपूर्ण भाग है। समागम तथा व्यवसाय से संबंधित प्रतिनिधियों, प्रमोटर्स, समागमों के दौरान उनके उत्पादों के संवर्धन हेतु व्यवसाय प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रदर्शन हॉलों में बूथों के बीच रास्ते को छोड़कर 3 मीटर x 3 मीटर के कम से कम 20 बूथों को बनाने की क्षमता होनी चाहिए।

4. रेस्तरां:

समागम केन्द्र में रेस्तरां, मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए एचआरएसीसी के विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।

5. पार्किंग: पार्किंग सुविधाएं 50 कारों तथा 5 कोचों से कम की नहीं होनी चाहिए।

6. प्रतिनिधियों/भाग लेने वालों के लिए आवासीय सुविधा:

यह तभी लागू होगा जब प्रमोटर परिसर में आवासीय सुविधाएं रखने के इच्छुक हों और सितारा श्रेणी के होटलों के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश लागू होंगे।

7. उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, समागम केन्द्रों में निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सुविधाएं सम्मिलित होनी चाहिए:

1. भूदृश्यांकित अग्रभाग
2. प्रदर्शन प्रबंधन केन्द्र
3. आईआईटीटीएफ/इंटरनेट आदि सहित कार्पोरेट कार्यालयों के लिए प्रशासनिक सुविधाएं
4. पर्यटक कार्यालय, बैंक तथा मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं, यात्रा डेस्क, एसटीडी/आईएसडी, प्रेस लाउंज, वीआईपी लाउंज, आदि जैसे व्यापार प्रदर्शन/मेला सुविधाएं।
5. प्लांट रूम, इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन, स्टोर्स, इलैक्ट्रिक पॉवर ब्रेक अप-सिस्टम, फायर हाइड्रेट, आदि जैसी तकनीकी सुविधाएं।
6. प्रवेश एवं निकास अनुबंधन हेतु गेट कामप्लैक्स।

7. सूचना बूथ
8. सार्वजनिक सुविधाएं
9. स्टेशनरी दुकानें एवं कियास्क्स
10. जन संबोधन प्रणाली
11. काल पर डाक्टर की सुविधाओं सहित प्रथम उपचार
12. सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कार्यालय एवं बूथ
13. कस्टम स्टोरेज एवं हैंडलिंग आदि के लिए स्टोरेज कांपलैक्स
14. अग्नि सुरक्षा व्यवस्था
15. लॉकर सुविधाएं

उपर्युक्त सुविधाओं की वैल्यू को बढ़ाने के उद्देश्य से, अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

(i) हस्तशिल्प दुकानें, सोवेनियर शॉप

(ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं।

(iii) ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए अन्य सुविधाएं।

आवेदन:

1. समागम केन्द्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन सचिव (पर्यटन), भारत सरकार, परिवहन भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. परियोजना स्तर/संचालन स्तर/पुन: अनुमोदन के लिए समागम केन्द्रों को अनुमोदन देने के अधिकार का प्रयोग अध्यक्ष, (होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति) द्वारा किया जाएगा।

3. पुन: अनुमोदन 3 वर्ष बाद लिया जाना अपेक्षित है। आवेदन-शुल्क लौटाया नहीं जाता है तथा यह "वेतन एवं लेखा कार्यालय, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय है। परियोजना स्वीकृति/संचालन अनुमोदन और पुन: अनुमोदन के लिए शुल्क निम्नानुसार है:–

1) परियोजना स्तर पर अनुमोदन के लिए – 5,000/- रुपये
2) संचालन स्तर पर अनुमोदन के लिए – 10,000/- रुपये
3) पुन: अनुमोदन के लिए – 5,000/- रुपये

अपेक्षाएं

परियोजना अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय समागम केन्द्र परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न कागजात तथा सूचना के विस्तृत ब्यौरे आवेदन प्रपत्र में दिए गए हैं। तथापि, मौलिक अपेक्षाओं का उल्लेख यहां किया जा रहा है ताकि आवेदन पत्र के साथ इसे भेजा जा सके:–

i) **एक परियोजना रिपोर्ट मुख्यत:** किसी विशिष्ट या विशेष पहलू का उल्लेख करते हुए जिसमें यह स्पष्ट हो कि प्रस्तावित समागम केन्द्र व्यवहार्य है तथा उसमें यह वर्णित हो कि समागम केन्द्र पर कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

ii) चयनित स्थल समागम केन्द्र के निर्माण के लिए उपयुक्त होना चाहिए तथा उसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी पर्यटकों द्वारा प्रयोग के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। स्थल चुनाव के समय समागम केन्द्र से हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशन/शॉपिंग क्षेत्रों आदि तक पहुंचने की सुगमता जैसे कारकों जो कि इसे सक्षम स्थल बनाते हैं, के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समागम केन्द्र के आसपास का पर्यावरण प्रदूषण, भीड़भाड़ शोर-शराबे से मुक्त तथा स्वास्थ्य के अनुकूल हो।

iii) संबंधित राज्य/स्थानीय प्राधिकरण से "एक लैंड यूज परमिशन सर्टिफिकेट" जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि चयनित भूमि पर समागम केन्द्र के निर्माण की आज्ञा है। राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित तथा वास्तुकार और प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना के स्केच प्लान का ब्लू प्रिंट, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iv) भूमि का स्वामित्व विलेख

v) अरबन लैंड सीलिंग सर्टिफिकेट, यदि लागू हो।

vi) यदि परियोजना किसी हवाई अड्डे के निकट है तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागर विमानन महानिदेशालय का अनुमोदन।

vii) प्रमोटर का नाम तथा उसके व्यवसाय से संबंधित जानकारी।

viii) व्यक्ति (व्यक्तियों) या फर्म या कंपनी के स्वामित्व में नए उपक्रम संबंधी पूरा विवरण देते हुए प्रस्तावित स्वामित्व संरचना।

ix) परियोजना की अनुमानित लागत और वह तरीका जिसके तहत अपेक्षित निवेश को पूरा करने के लिए निधि जुटाने का प्रस्ताव है।

x) मंत्रालय ने कुछ विनियामक शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका प्रमोटरों अथवा अनुमोदित समागम केन्द्र परियोजनाओं द्वारा पालन किया जाना है। प्रमोटरों को निर्धारित प्रपत्र में इन विनियामक शर्तों को स्वीकार्यता देनी होगी। विनियामक शर्तों और उनकी स्वीकार्यता संबंधी प्रपत्र भी संलग्न है।

समागम केन्द्र परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए विनियामक शर्तें

पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सभी समागम केन्द्रों को निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं:

1. इसकी कानूनी स्थिति संबंधी दस्तावेज, अर्थात् यदि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी निगमित है तो उसके ज्ञापन और संस्था के अंर्तनियमों की एक प्रति, यदि फर्म साझेदारी में है तो साझेदारी विलेख की एक प्रति और साझेदारी अधिनियम के तहत उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि स्वामित्व वाली फर्म है तो उसके मालिक का नाम व पता, आदि।

2. समागम केन्द्र के निर्माण/प्रचालन के लिए यदि स्थानीय प्रशासन/पुलिस और/या अन्य संबंधित प्राधिकरणों से कोई लाइसेंस और/अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित हो, तो प्रमोटरों को संबंधित प्राधिकरण से उसे सीधे प्राप्त करना चाहिए। इस मंत्रालय का अनुमोदन किसी भी प्रकार से उनका विकल्प नहीं होगा। इस शर्त के उल्लंघन का मामला जब कभी भी इस मंत्रालय की जानकारी में लाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में इस मंत्रालय के अनुमोदन को वापिस ले लिया माना जाएगा।

3. यदि पहले प्रस्तुत की गई योजना में प्रमोटरों द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में इस मंत्रालय के अनुमोदन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

4. चूंकि परियोजना का अनुमोदन विदेशी पर्यटकों के लिए उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर किया गया है, अतः, प्रमोटर केन्द्र/राज्य वित्त संस्थानों से ऋण के लिए तथा भवन सामग्री, टेलीफोन और टेलेक्स कनेक्शन आदि के लिए प्राथमिकता पाने के पात्र होंगे। तथापि, इस अनुमोदन को इन सुविधाओं की मंजूरी के लिए आश्वासन के रूप में न लिया जाये क्योंकि ये सुविधाएं संबंधित प्राधिकरणों और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमों के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

समागम केन्द्र/होटल के चालू होने के बाद पूरी की जाने वाली शर्तें

1. समागम केन्द्र इस मंत्रालय को अपने चालू होने की तारीख तत्काल सूचित करेगा और उसके बाद 3 महीनों के अंदर अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

2. समागम केन्द्र पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निम्नलिखित सूचना पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक को भेजेगा, जो हर वर्ष 31 मार्च को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

(क) समागम केन्द्र/होटल द्वारा जमा की गई विदेशी मुद्रा के संबंध में एक बैंक प्रमाणपत्र।

(ख) नीचे दिए गए प्रोफार्मे के अनुसार आयोजित किए गए समागमों/सम्मेलनों/सेमिनारों की संख्या तथा भाग लेने वालों की संख्या:–

क्र. सं.	सम्मेलन/सेमिनार का नाम स्वदेशी/अंतर्राष्ट्रीय		तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	संगठन का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.

(ग) निम्नानुसार होटल की कुल शय्या (बेड) क्षमता: (बशर्ते कि समागम केन्द्र में आवासीय सुविधा हो)

सिंगल रूम :
डबल रूम :
सूट्स :

(घ) आवासियों/स्टाफ अधिकारियों, आदि द्वारा स्थाई/अर्धस्थायी आधार पर इस्तेमाल किए जा रहे कमरों की संख्या:

(ङ) वर्तमान टैरिफ कार्ड की एक नमूना प्रति (आवासीय सुविधाओं वाले समागम केन्द्रों पर लागू);

(च) वरिष्ठ कार्यपालकों के नाम सहित उनके पदनाम, अनुभव आदि की सूची।

(छ) नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या।

(ज) समागम केन्द्र/होटल की वार्षिक रिपोर्ट और वित्त वर्ष समाप्त होने के 4 महीनों के अंदर लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखे को दर्शाने वाला विवरण।

(झ) आयोजित किए गए कार्यक्रमों, अतिथियों, कमरों, अधिभोग, आय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित तिमाही आधार पर रोजगार के संबंध में सांख्यिकीय रिटर्न।

3. समागम केन्द्र में आरंभ की गई अथवा वापिस ली गई सुविधाओं और की गई किसी बढ़ोत्तरी अथवा परिवर्तनों की सूचना समय-समय पर क्षेत्र के भारत पर्यटक कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रबंधक को और पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक को देनी होगी।

4. प्रत्येक कमरे में होटल टैरिफ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। इस कार्ड पर सभी कर, सेवा प्रभार आदि भी दर्शाया जाए (जहां लागू हो)।

5. सामान्यत: निवास के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। तथापि, पर्यटन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी या व्यक्ति को निवास या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 10 प्रतिशत तक कमरे ही किराए पर दिए जा सकेंगे।

6. समागम केन्द्र को हर समय उच्च स्तर का रखरखाव और सेवाएं बनाए रखनी चाहिए जिसके लिए उसे अनुमोदित किया गयाा है तथा उसे अपने अतिथियों के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए।

7. पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों को या इसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी को समय-समय पर परिसर का निरीक्षण करने के लिए पूर्व सूचना अथवा बिना पूर्व सूचना के परिसर में निर्बाध प्रवेश की इजाजत होगी।

समागम केन्द्र द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में पर्यटन मंत्रालय को अनुमोदन वापिस लेने का अधिकार होगा।

समागम केन्द्र के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रोफार्मा

1. समागम केन्द्र का प्रस्तावित नाम:

2. प्रमोटरों के नाम:
(पूर्व कारोबार का विवरण देते हुए एक नोट संलग्न करें)

3. प्रमोटरों का पूरा डाक पता:

4. मालिकों/प्रमोटरों की हैसियत: यदि

(क) कम्पनी:
(यदि हां, तो संस्था के अन्तर्नियम और ज्ञापन की प्रति प्रस्तुत करें)

या

(ख) साझेदारी फर्म
(यदि हां, तो साझेदारी अधिनियम के तहत साझेदारी विलेख की एक प्रति और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें)

या

(ग) मालिकाना प्रतिष्ठान
(मालिक का नाम व पता दें)

5. डाक पते सहित समागम केन्द्र की स्थिति:

6. स्थल का विवरण:

(क) क्षेत्रफल

(ख) टाइटल

क्या एकमुश्त खरीदा है?
(यदि हां, तो पंजीकृत सेल डीड की एक प्रति प्रस्तुत करें)

अथवा

(ग) क्या लीज पर है?
यदि इस पर समागम केन्द्र के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि उपयोग परमिट प्राप्त किया है?
(यदि हां, तो संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें।)

(घ) रेलवे स्टेशन से दूरी:

(ङ) एयरपोर्ट से दूरी:

(च) मुख्य शहरी केन्द्र से दूरी:

7. समागम केन्द्र परियोजना का विवरण:
(परियोजना/व्यवहार्यता रिपोर्ट की एक प्रति अवश्य प्रस्तुत करें)

(I) समागम हॉलों की संख्या
(कृपया सीटिंग क्षमता को दर्शाएं)

क)

ख)

ग)

घ)

(II) छोटे समागम हॉलों की संख्या
(कृपया सीटिंग क्षमता को दर्शाएं)

क)

ख)

ग)

घ)

(III) प्रदर्शनी हॉल
(कृपया क्षेत्रफल दर्शाएं)

(IV) रेस्तरां
(कृपया क्षेत्रफल दर्शाएं)

(V) पार्किंग
(कृपया क्षेत्रफल और कारों/कोचों की संख्या जिन्हें पार्क किया जा सके, दर्शाएं)

(VI) नियोजित आवास एकक की सितारा श्रेणी
(यदि लागू हों)

(VII) अतिथि कक्षों की संख्या और उनका क्षेत्रफल:

	संख्या	क्षेत्रफल
(क) सिंगल		
(ख) डबल		
(ग) सूट्स		
जोड़:		

(VIII) अटैच्ड बाथरूम की संख्या और उनका क्षेत्रफल:

(क) कितने बाथरूमों में नहाने के टब या अति आधुनिक शावर चैम्बर्स होंगे (विवरण दें):

(ख) सार्वजनिक क्षेत्रों का विवरण:

	संख्या	प्रत्येक का क्षेत्रफल
(1) लाउंज/लॉबी/स्वागत कक्ष		
(2) रेस्तरां		
(3) बार		
(4) शॉपिंग		
(5) बैंक्वेट/खानपान सुविधाएं		
(6) हेल्थ क्लब		
(7) स्विमिंग पूल		

नोट: यह सुनिश्चित किया जाये कि रेस्तराओं और विभिन्न सितारा श्रेणी के होटलों हेतु अतिथि कक्षों और संलग्न स्नानगृहों का क्षेत्रफल पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप हो।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित और प्रमोटरों तथा आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना के स्कैच प्लान के ब्लू प्रिंटस पूरा सेट प्रस्तुत किया जाए):

(i) स्थल योजना

(ii) फ्रंट और साइड एलीवेशन

(iii) सार्वजनिक क्षेत्रों/अतिथि कक्षों और अन्य सुविधाओं का फ्लोर-वार विवरण

(iv) (क) समागम हॉलों/मिनी समागम हॉल/प्रदर्शनी हॉल का क्षेत्रफल

(ख) अतिथि कक्षों का लंबाई, चौड़ाई सहित क्षेत्रफल (यदि लागू हो)

(ग) बाथरूम का लंबाई, चौड़ाई सहित क्षेत्रफल

8. वातानुकूलन:

(क) क्या सभी समागम हॉल और अतिथिकक्ष वातानुकूलित होंगे।

(ख) क्या सभी सार्वजनिक क्षेत्र वातानुकूलित होंगे।

(ग) वातानुकूलन के प्रकार के बारे में पूरा विवरण दें।

9. अनुमोदन:

क्या समागम केन्द्र परियोजना निम्नलिखित एजेंसियों/अधिनियमों के तहत अनुमोदित/क्लीयर कर दी गई है। यहां पर यह लागू होती है:

(क) नगरपालिका प्राधिकरण

(ख) शहरी भूमि (सीमा) अधिनियम

(ग) कोई अन्य स्थानीय/राज्य सरकार

(घ) संबंधित प्राधिकरण

10. प्रस्तावित पूंजी संरचना

(क) कुल अनुमानित लागत:

(i) इक्विटी:

(ii) ऋण:

(iii) अब तक की इक्विटी पूंजी:

(ख) (i) स्रोत जिनसे ऋण लिए जाने का प्रस्ताव है

(ii) ऋण की वर्तमान स्थिति

11. विनियामक शर्तों की स्वीकार्यता:
(इसे निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाये)

12. आवेदन फीस-डिमांड ड्राफ्ट संख्या: .....

धारा 80-एचएचडी

कोई अन्य

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम व पदनाम .....

.....

स्थान.....

दिनांक.....

समागम केन्द्र परियोजना के अनुमोदन के लिए विनियामक शर्तें और समागम केन्द्र/होटल के संचालन के बाद पूरी की जाने वाली शर्तों की स्वीकार्यता का प्रपत्र

सेवा में,

सचिव (पर्यटन)
भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय, परिवहन भवन,
नई दिल्ली

विषय: समागम केन्द्र परियोजना के अनुमोदन के लिए विनियामक शर्तों और समागम केन्द्र/होटल के संचालन के बाद पूरी की जाने वाली शर्तों की स्वीकार्यता।

प्रिय महोदय,

मुझे पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमोदित सूची पर समागम केन्द्र के लिए निर्धारित, समागम केन्द्र परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु विनियामक शर्तें प्राप्त हो गई हैं और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने उन्हें पढ़ और समझ लिया है और मैं एतद्द्वारा समागम केन्द्र के अनुमोदन के लिए इसका और पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों का पालन करूंगा।

भवदीय,

(बड़े अक्षरों में नाम)
प्रबंध निदेशक/साझेदार/प्रोपराइटर
समागम केन्द्र का नाम

तारीख.....

(टिप्पणी: यह पत्र कंपनी लेटर हैड पर होना चाहिए)